RUNGTA
IRRIGATION LIMITED
SYMBOL OF QUALITY
REGD. & HEAD OFFICE :
101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Ph. : 011-40453330, 331, 332
CIN : L74899DL1986PLC023934
E-mail : info@rungtairrigation.in
Website : www.rungtairrigation.in

Dear Sir/ Madam, Date-20/08/2024

The Secretary
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai -400001
Scrip Code: 530449

Subject: Newspaper Advertisement-Information regarding 40th Annual General Meeting, Pre-dispatch of Annual Report.

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended time to time, please find enclosed a copy of newspaper advertisement regarding 40th Annual General Meeting published before the dispatch of the Annual Report for FY 2023-24 in English & Regional (Hindi) in following newspaper.

1. The Pioneer (English)
2. The Pioneer (Hindi)

This is for your information and records.
Kindly take note of the above.

Thanking you
Yours Faithfully,

FOR RUNGTA IRRIGATION LIMITED

KANWAL OHRI Digitally signed by KANWAL OHRI Date: 2024.08.20 11:10:38 +05'30'

Kanwal Ohri
Company Secretary & Compliance Officer

Refugees denied citizenship rights due to appeasement policy of Cong-led Govts: Shah

PTI ■ AHMEDABAD

Union Home Minister Amit Shah on Sunday said a large number of refugees were denied citizenship rights in the country due to the appeasement policy of past governments led by the Congress and its allies. Addressing a gathering in Ahmedabad after handing over citizenship certificates to 188 Hindu refugees in Gujarat, Shah said the Citizenship (Amendment) Act (CAA) is about giving rights and justice to lakhs of refugees. He also assured Muslims that there is no provision in the CAA to take away anyone's citizenship, as it is about granting citizenship. "Because of the policy of appeasement of past governments headed by the Congress and its allies, those who came to the country seeking refuge did not get (citizenship) rights and justice from 1947 to 2014," Shah said.

"They (refugees) were not just tortured in neighbouring countries for being Hindu, Jain, Buddhist and Sikh, but also in our country as lakhs and crores of people longed for justice for three generations," he said. Past governments allowed crores of intruders into the country and made them citizens illegally, but they denied citizenship to those who followed the law and applied for the same by saying there was no legal provision for it, Shah said.

"From this forum I would like to ask those who ran past governments as to what was the fault of the people, who came here to save their sisters and daughters and their properties, that they could not become citizens of this country,"

Shah asked. Asserting that law is for the public and not the other way round, Shah said the BJP had promised in 2014 that it would bring in CAA after coming to power and it was done in 2019, which gave rights and justice to crores of Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs. "After the law was passed, everyone was misled that this would cause injustice to Muslims and they would lose their citizenship. Today, I want to make it clear again to the Muslim community that there is no provision in this law to take away anyone's citizenship. This law works to grant citizenship," the Union minister said. However, even today certain state governments are misleading people, he said.

"The absence of such a law granting citizenship ensured people of our country remained destitute in our own country. What can be a bigger misfortune and irony than this? It could not happen due to the policy of appeasement for so many years. Prime Minister Narendra Modi decided to bring the law in 2019, and I had the privilege of passing the law in Parliament," Shah said.

He said Bangladesh had 27 per cent Hindus at the time of partition, but today they are just 9 per cent as they have been subjected to forced religious conversion.

"Where have the rest gone? They were either subjected to forced religious conversion, or ran here seeking refuge. Don't they have the right to live as per their religion? If they can't live with respect in the neighbouring country and seek refuge in our country, what should we do? We cannot sit as silent spectators. This is the Narendra Modi government, you will get justice," he asserted. He told refugees from all over the country to apply for citizenship without hesitation as this will not affect their job or their properties since they will be granted citizenship with retrospective effect.

Ladki Bahin scheme aid will increase if sisters give us strength: Shinde

PTI ■ SATARA

The financial aid under the Ladki Bahin Yojana will increase if "beloved sisters give us strength", Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde said on Sunday.

Under the scheme, women with an annual family income of less than Rs 2.5 lakh are given Rs 1,500 as monthly financial aid. "My government will not stop at Rs 1500. If you give us strength, the money will increase," Shinde said at the launch of the scheme in Satara, his statement an apparent call for support in the Maharashtra assembly polls that are likely to be held in October-November.

A sum of Rs 3000 crore has been disbursed to one crore eligible women so far and Rs 35,000 crore has been earmarked for the year, Shinde said.

The CM said the Ladki Bahin Yojana and the move to give three free cylinders were attempts to make women "atmanirbhar" (self-reliant) and not election gimmicks. "However, evil step brothers are maligning these schemes," he said in a swipe at the opposition parties.

Those born with silver spoons in their mouths will not understand the importance and value of Rs 1,500, Shinde asserted.

Scrap registration cutoff date for Ladki Bahin scheme, says Prithviraj

PTI ■ MUMBAI

Senior Congress leader Prithviraj Chavan has demanded that the cut off time to register for the Maharashtra government's Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana be waived off to enable all eligible women to avail financial assistance.

The August 31 cut off date should be scrapped and the scheme should be implemented as a social security right, Chavan said in a letter to Chief Minister Eknath Shinde. Due to technical glitches, the server of the official portal is non functional most of the time, while in several instances women do not get the registration OTP for nearly six hours, he said.

Women are worried they will not be able to register themselves for the scheme in time, Chavan said in the letter. He said the registration limit was July 15 earlier and this was extended to August 31 after he made such a demand during the monsoon session, adding the age limit was increased from 60 to 65 years following his initiative.

Tripura BJP demands Mamata's resignation over doctor rape-murder

PTI ■ AGARTALA

Tripura BJP unit on Sunday demanded the resignation of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee owning moral responsibility for the rape and murder of a doctor at Kar Medical College and Hospital in Kolkata.

The body of the post-graduate trainee doctor was found in a seminar room at Kar Medical College and Hospital on August 9.

" We want Mamata di to resign owning moral responsibility for the shocking incident in Kolkata", former union minister and BJP state core committee member Pratima Bhoumik said during a press conference.

"Many evidence was wiped out by vandalization at Kar Medical College and Hospital..., she said.

Taking a dig at the INDIA bloc, the former union minister said anti-BJP party leaders were observing mysterious silence on the horror incident at the Kolkata medical college.

3 assault woman doctor at Maha hospital, 2 detained

PTI ■ MUMBAI

Police have booked three persons, including two women, and detained two of them after a female doctor was allegedly assaulted at civic-run Sion hospital here in the early hours of Sunday, an official said.

The accused allegedly targeted the doctor when she was cleaning blood from the ear of a man at the casualty ward of the facility, officially known as Lokmanya Tilak Municipal General Hospital and Lokmanya Tilak Municipal Medical College. The man screamed at the female doctor, triggering an argument, said the official from Sion police station.

Of those who had come with the patient, two women and a man assaulted the female doctor, prompting the hospital staff to seek police intervention, the official said.

Police registered a case against the three alleged attackers under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Maharashtra Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act.

Two of the three accused have been detained, the official said.

In a statement concerning the incident, Sion hospital said, "There has been an incidence of violence in Sion hospital that occurred early this morning involving one of the on-call residents in the ward.

A group of 5-6 intoxicated patient attendants threatened and attempted to physically assault her. She also sustained injuries while defending herself." Terming the assault "alarming", the statement said their doctors' safety is "non-negotiable".

"This situation requires immediate attention and the implementation of strict security measures in all hospitals," it added.

The assault comes amid a nationwide uproar over the safety of doctors in the wake of the rape-murder of a junior trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata.

Kolkata rape-murder: Health services in Goa Hospital remain crippled

PTI ■ PANAJI

Health services at the state-run Goa Medical College and Hospital remained affected for the third consecutive day on Sunday, with resident doctors resolving against withdrawing the indefinite strike, which began Friday, till the Calcutta High Court delivers verdict in the rape-murder case.

Earlier in the day, private medical practitioners who observed a 24-hour strike called off their protest at 6 AM, said Indian Medical Association's Goa unit president Sandesh Chodankar. Healthcare services at the Goa Medical College and Hospital, one of the oldest medical colleges, remained crippled for the third consecutive day due to the strike by senior and junior resident doctors under the aegis of the Goa Association of Resident Doctors (GARD).

Doctors demonstrated outside GMCH Complex in Bambolim demanding justice for the junior trainee doctor who was allegedly raped and murdered at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata on August 9, triggering nationwide outrage.

The GARD stated on Sunday the strike would continue till the Calcutta High Court delivers its verdict in the rape and murder case.

Doctors claimed emergency services in GMCH remain uninterrupted.

State Health Minister Vishwajit Rane Sunday stated the government was implementing crucial changes at GMCH, including installing security cameras and revising laws, to ensure foolproof safety of doctors.

"I strongly condemn the recent horrific incident in West Bengal involving the heinous crime against an innocent doctor. My heartfelt condolences go to the victim's family. This tragedy highlights the urgent need for enhanced safety measures for healthcare workers," Rane stated in a video statement.

He demanded swift and strict action against the perpetrators responsible for the Kolkata incident.

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This information for the General Public that my client Rampal son of Ramswaroop resident of A-225 A-Block, Kusum Pur Pahari, Kusum Pur, South West Delhi, Delhi-110057, has disowning and disinherited their son namely Ravi Dutt and daughter-in-law namely Nita, from all their moveable & immoveable properties and have also severed all their relations from them. Therefore my client shall not be responsible for any act and conduct done by them in future.

(Ombir Sangwan) Advocate
Ch No.5, Patiala House Court N.Delhi-110001

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Radha Chaurasia D/o Vindavasani Chaurasia R/o B-385, First floor, Sector-19, Noida, U.P.(201301) declares that name of mine and my father is wrongly written as Radha Chourasia and Bindvasni Chourasia in my all education certificate. The actual name of mine and my father is Radha Chaurasia and Vindavasani Chaurasia. Which may be amended accordingly.

PD(689)C

Rungta Irrigation Limited

RUNGTA IRRIGATION LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023934

Registered Address: 101,Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi-110008

Tel.: 91-(11)40453330, Website: www.rungtairrigation.com

INFORMATION REGARDING 40th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member

1. Notice is hereby given to the members of the company that the Fortieth Annual General Meeting of the Company ("40th AGM") will be held on Friday, the 20th September, 2024 at 12:00 P.M. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business that will be set forth in the 40th AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos 09/2023 dated 25 September 2023 and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07 October 2023.
   We draw your kind attention to the above mentioned Circulars issued by SEBI mandating updation of KYC details i.e. PAN, Nomination, contact details, back account details and specimen signature of the shareholder holding shares in physical form. As per the said Circulars, effective January 1, 2024
2. In compliance with the relevant laws and circulars, the Notice of the AGM and the standalone financial statements for year ended 31st March 2024, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant (s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company (https://www.rungtairrigation.com) and on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com).
3. **Manner of registering/updating email addresses:**
   Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same along with KYC by submitting the requisite ISR 1 form along with the supporting documents available at http://www.beetalmail.com/brms/Form%20ISR-1.PDF.
   For more information on updating the email and Mobile details for securities held in electronic mode, please reach out to the respective DP(s), where the DEMAT a/c is being held.
   The members are requested to get their KYC and email ids updated before 13th September 2024 to enable the Company to send the Annual Report along with AGM notice and login credentials to their registered email id for participating and voting in the AGM.
4. The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

By order of the Board
For Rungta Irrigation Limited
Sd/-
Kanwal Ohri
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 19th August, 2024

PUBLIC NOTICE

This public notice is hereby given that our client intends to enter into a transaction with M/s. Pulkit Promoters Private Limited, M/s. Realtech Infrastructure Limited and M/s. Dove Infrastructure Private Limited all having their registered address at D-22, Defence Colony, New Delhi – 110024 ("Owners") in relation to purchase of Commercial Area admeasuring 21,277 Sq. Ft. and Non Commercial Area admeasuring 7691.41 Sq. Ft. aggregating to 28,969.26 Sq. Ft. (Covered Area outer wall to outer wall) comprised in Unit Nos.013, 014B, 015B, 008, 009, 010, 011, 012, 014A and 015A on the Ground Floor of the Block B in the complex known in the name and style of "FBD One Complex" ("Premises") built on land admeasuring 8.50 Acres comprised in Khasra Nos. 1672 to 1678, 1668/1, 1717/1634/1, 1634/1, 1634/2 and 1669 in Village Anangpur, Tehsil Ballabhgarh, District Faridabad, situated at Sector 37, Faridabad, Haryana Pin Code 121 003 ("Plot") alongwith (i) 37 (Thirty Seven) Parking Spaces on the surface of the Plot and (b) 51 (Fifty One) Parking Spaces in Basement 1 of the Block B in the said FBD One Complex ("Parking Spaces") alongwith (ii) right to use the Exclusive Appurtenant Areas such as space for Exclusive Loading and Unloading Area, Exclusive Terrace Area of 500 square feet for installation of Antennas and Solar Panels, 2 (Two) Exclusive Lifts, Exclusive Gate for egress/ingress, space for installation of Exclusive Diesel Generator Set, space for installation of exclusive HVAC/ODU, space for installation of exclusive Hoardings and Signage, space for installation of exclusive Totem Pole, Pedestrian Way between Block B and Cexclusively for pedestrian movement and right to use in common with all the other occupants of the Block B and Block C the Common Appurtenant Areas such as Common Staircase and Sewerage Treatment Plant together with (iii) (a) the undivided and impartible proportionate share in the Plot and (b) undivided rights and share in the Common Areas of the FBD One Complex/Plot alongwith all rights and easements whatsoever necessary for the enjoyment of the Premises, Parking Spaces and Exclusive Appurtenant Areas, Common Appurtenant Areas (collectively referred to as the "Rights in Plot and Common Areas"). The Premises, Parking Spaces, Exclusive Appurtenant Areas, Common Appurtenant Areas and Rights in Plot and Common Areas are hereinafter collectively referred to as the "Subject Property".

If any person or any legal entity including any Government/Public Department, Bank or Financial Institution, etc. is having or claiming any form of right, title, claim, benefit, demand or interest in the Subject Property or any part thereof, by way of sale, transfer, exchange, assignment, Will, release, relinquishment, decree or order of any Court of Law, encumbrance, mortgage, lease, lien, charge, license, gift, inheritance, undivided share, possession, easement, trust, bequest, lease, tenancy, sub-tenancy, leave and license, lispendens, easement, options, right of first refusal or pre-emption or encumbrance of whatsoever nature or otherwise howsoever, or under any agreement, deed, document, or power of attorney or any objection/s of any manner whatsoever is hereby required to inform the same in writing with notarized/certified true copies of documentary proof in support thereof, to the undersigned at their under mentioned address within 14 (fourteen) days from the date of this notice, failing which it will be presumed that the title of the Subject Property is clear, valid and marketable and no one has any rights/ title/ interest/ claim/ demand whatsoever on the Subject Property. Any claims without supporting documents will not be entertained.

Please mark your envelope with the superscription [CN-BVH].

Dated:19 August 2024

LEXNEGOTIUM Advocates
Attn: Vikas Pant, Principal Partner
3-D, Row House Surya Vihar Apartments, Dundahera Gurgaon, 122016, Haryana
Tel: +91 124 400 8001 | +91 989911 5125 | +91 987386 5125

Demand for Puducherry Statehood echoes in House

PTI ■ PUDUCHERRY

Long-pending demand, the plea for statehood to this union territory echoed once again in the state Assembly earlier this week, when the House passed a unanimous resolution expressing its sentiments with the Centre on the matter.

The territorial Assembly had in the past adopted resolutions on 15 occasions seeking statehood. The election manifestos of all political parties released during the run up to either Assembly or Lok Sabha polls all along had been insisting they would strive hard for ensuring statehood to Puducherry, a coastal town located about 170 km from Chennai.

Puducherry and its outlying regions of Karaikal, Mahe and Yanam located as enclaves either in Tamilnadu, Kerala or Andhra Pradesh had been together as a union territory since their merger with the Indian Union through a referendum in 1954.

It has been the contention of the parties coming to power that the lack of full-fledged powers to the elected government at had been a major handicap. They state that even to introduce a Bill in the territorial Assembly, the consent of the Centre is necessary. The House had adopted a resolution on August 14 on the statehood issue, with all parties backing the motion.

Chief Minister N Rangasamy, who heads the AINRC-BJP coalition government here, has been pressing the plea for statehood as he is of the view that in the present constitutional status of Puducherry being a Union Territory, the decisions of the elected government could not be implemented expeditiously as several hurdles have to be overcome.

He had recently said that "the only solution for all the difficulties the territorial government is facing is conferment of statehood on Puducherry."

Former Puducherry Chief Minister and senior Congress leader V Narayanasamy told PTI that statehood was 'absolutely' necessary and re-affirmed his party's support for the cause.

He said there was no room for any apprehension that the UT's financial position would be strained in the event of being granted statehood.

"The Centre's share for the budget of Puducherry and the State's contributions would be copiously available. There should be prudence in planning and spending of money," he said.

PUNE MUNICIPAL CORPORATION
CHIEF ENGINEER (PROJECT) DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS (N.I.T) YEAR 2024-2025

Online Sale of Tenders- 20/08/2024 to 13/09/2024 up to 03:00 PM
Last date of submission of tenders: 20/08/2024 to 13/09/2024 at 03:00 PM
Pre Bid-Meeting Date: 27/08/2024 at 11.00 AM
Date of opening of Tenders: 18/09/2024 at 03.00 PM

Sr No.	Tender No/	Name of Work	Total Project Cost incl. GST. Royalty and Testing charges (Rs.)	Tender Amount (Exluding Royalty, Testing Charges)	GST (18%) Rs	Royalty Rs	Material Testing Charges Rs	Earnest Money Deposit (Rs.) 0.50%	Security Deposit (5%)	Time Limit in Calendar months including monsoon	Defect Liability. Period	Cost of Tender Document RS.	All the documents are attached to online tender	Tender Type	Contact Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pmc/Chief Eng. (Project)/04 /2024	Construction of Grade Separator/ Flyover at Shastrinagar Chowk, Yerwada, Pune	97,07,06,170/-	81,87,18,110/-	14,73,69,260/-	23.51.935/-	22,66,865/-	48,53,531/-	1,45,60,593/-	30 months	20 Years	59,179/-	YES	New Tender	Sandip Patil (Deputy Engg.) 9689931235 Ranjit Mutkule (Sub Engg.) 9689931268

A. This tender will be implemented as per LUMP-SUM And B-1 type
B. Detailed terms/conditions for the tendered works are mentioned in the tender set and the tender set for this work is published on the website www.mahatenders.gov.in.
C. Complete information about online tendering process is available at The office of Chief Engineer (Projects), 3rd Floor, Main Building, Pune Municipal Corporation, Shivajinagar, Pune -05.
D. EMD amount will be accepted only through ECS/RTGS/NEFT facility. E. It will be sole resposibility of the tenderer if the tender set is not downloaded or submitted at the last moment.
F. Pre- Bid meeting will be conducted on Tuesday dt. 27/08/2024 at 11.00 am. in The Office of Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation, Shivajinagar, Pune 411005.

(Abhijeet Ambekar)
Executive Engineer (Projects)
Pune Municipal Corporation,

Advt. 03/475

कई राज्यों में लागू होगा 'पावर मुनाफा मॉडल'

10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री 'मनोहर मॉडल' को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री से कर चुके हैं मुलाकात

● बिजली उत्पादन बढ़ाने व लाइन लॉस खत्म करने पर रहेगा फोकस

● साढ़े नौ साल में हरियाणा के छह हजार गांवों में शुरू हुई 24 घंटे बिजली आपूर्ति

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साढ़े 9 साल के कार्यकाल में लागू हुए 'पावर मुनाफा मॉडल' को अब देश के करीब एक दर्जन अपनाने जा रहे हैं। केंद्र में ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास का जिम्मा संभाले मनोहर लाल को महज 60 दिन ही हुए हैं। इस अवधि के दौरान 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री 'मनोहर मॉडल' को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं।

देश में वर्ष 2035 तक बिजली की मांग दोगुनी हो जाएगी। बिजली की बढ़ती डिमांड की आपूर्ति को लेकर केंद्र ने हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान बिजली कंपनियों को घाटे से उबारा गया है।

वर्ष 2014 में बिजली लाइन लॉस 40 फीसदी था और बिलों की अदायगी न के बराबर थी। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से शुरू हुई म्हारा गांव-जगमग गांव योजना आज प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है और लाइन लोस घटकर 12 फीसदी पर पहुंच गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कार्यभार संभालने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल, असम और अरुणाचल प्रदेश में बिजली प्रौजेक्टों का मुआयना किया। उत्तराखंड व हिमाचल में पन बिजली परियोजनाओं को मजबूती देने का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में उत्तर-पूर्वी रीजन में बिजली मंत्रियों की कांफ्रेंस में बिजली उत्पादन और क्षमता बढ़ाने पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने असम, अरुणाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की। वर्ष 2014 में महज 538 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर छह हजार पर पहुंच गई। इस समय प्रदेश के 11 जिले 24 घंटे बिजली से जगमग हैं।

देशभर में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का रोडमैप तैयार

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने देशभर में बिजली की डिमांड के अनुरूप आपूर्ति को बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया है। खासकर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही पनबिजली परियोजनाओं में ढांचागत मजबूती और नई परियोजनाओं को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मनोहर लाल ने पिछले दिनों टिहरी गढ़वाल डैम पर 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट और 2400 मेगावाट टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में चल रही निर्माण गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया और तेजी से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही मनोहर लाल नई परियोजनाओं को जल्द शुरू करने को लेकर देशभर का दौरा कर रहे हैं।

बिजली सुधारों में हरियाणा आगे: एचईआरसी चेयरमैन

चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन नंद लाल शर्मा ने रविवार को कहा कि ओडिशा के बाद हरियाणा भारत में बिजली सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति करने वाला दूसरा राज्य है। एचईआरसी का गठन 16 अगस्त 1998 को किया गया था। रविवार को एचईआरसी के स्थापना दिवस पर पंचकूला कार्यालय में निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चेयरमैन शर्मा ने बताया कि पहले राज्य बिजली का प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से करते थे। उन्होंने कहा कि इन बोर्ड को वितरण, उत्पादन और पारेषण के लिए अलग-अलग निगमों में पुनर्गठित किया गया। शर्मा ने कहा कि बिजली विनियमन समवर्ती सूची का विषय है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि इस पुनर्गठन से बिजली सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक क्षेत्रों में केंद्रित निवेश संभव हुआ है।

घर की छत गिरी, मलबे के नीचे दबा परिवार, बच्ची की मौत

● सोते समय हुआ दर्दनाक हादसा

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

रविवार अल सुबह 4.30 बजे खेड़े वाली गली दर्रा खेड़ा में एक मकान की कड़ियों वाली छत गिर गई। जिससे मकान में सो रहे पवन कश्यप, उसकी पत्नी रानी व 4 बच्चे घायल हो गए। मलबे में घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।

पड़ोसियों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में ले गए। इस घटना में पवन कश्यप की पुत्री तनीषा उम्र 8 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि दर्रा खेड़ा में बने एक जर्जर मकान के कमरे की छत गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं मकान में सो रहे पिता व मां सहित 5 घायल हो गए। परिजन के मुताबिक मकान जर्जर की हालत में था और हादसे के वक्त पवन व उसकी पत्नी रानी व 4 बच्चे कमरे में सो रहे थे। अचानक छत का मलबा उनके ऊपर आकर गिर गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतक बच्ची के पिता पवन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं व मां घरों में साफ सफाई का काम करती है। हादसे के बाद एडवोकेट अंकित गुप्ता ने कहा कि वैसे तो प्रदेश की सरकार हर गरीब को छत देने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहती है लेकिन आज एक गरीब परिवार की कड़ियों वाली छत गिरने से मासूम बच्ची की मौत हो गई जोकि बहुत दुखदायी है। कहा कि यदि समय रहते इस परिवार के मुखिया की सुनवाई की जाती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अंकित गुप्ता ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।

सीएम कप के अंतर्गत हुई कई प्रतियोगिताएं

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा सीएम कप 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय वालीबॉल, खो-खो, बास्केट बॉल, कबड्डी, हैंडबॉल व फुटबॉल खेलों का आयोजन 17 व 18 अगस्त को द्रोणाचार्य स्टेडियम में किया गया।

इन प्रतियोगिताओं में जिले के समस्त खंड पिहोवा, शाहबाद, लाडवा, बाबैन, इस्माईलाबाद, पिपली व थानेसर की टीमों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमे जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करेंगी। जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 21 अगस्त को जिला अंबाला में किया जाएगा। मनोज कुमार ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लड़कों व लड़कियों के बास्केट बॉल में थानेसर की द्रोणाचार्य स्टेडियम टीम प्रथम, लड़कों की कबड्डी में थानेसर के केयूके चेलेंजर व लड़कियों की कबड्डी में लाडवा के राजकीय स्कूल टीम प्रथम, लड़कों की हैंडबॉल में थानेसर की द्रोणाचार्य स्टेडियम व लड़कियों की हैंडबॉल में शाहबाद की सतलुज सीनियर सैकेंडरी स्कूल की टीम प्रथम, लड़कों की खो-खो में थानेसर के राजकीय स्कूल देवीदास पुरा, लड़कियों की खो-खो में थानेसर के द्रोणाचार्य स्टेडियम की टीम प्रथम, लड़कों की फुटबॉल में थानेसर की केकेआर-1 व लड़कियों की फुटबॉल में शाहबाद की आर्य कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल शाहबाद की टीम प्रथम तथा लड़कों की वॉलीबॉल में थानेसर की साई की टीम व लड़कियों की वॉलीबॉल में थानेसर की सुनील कुमार मेमोरियल स्टेडियम अमीन प्रथम स्थान पर रही है।

फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने को पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

कुरुक्षेत्र। शिक्षा या घूमने के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोग जागरूकता के अभाव में अक्सर फर्जी ट्रैवल एजेन्टों का शिकार बनकर लाखों रुपये गंवा बैठते हैं। विदेश जाने के लिए वीजा लगवाने से पूर्व एजेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट की ही सेवाएं लें। लोगों को ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने की जरूरत है। यह बात पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने वीजा लगवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के मध्यनजर लोगों को जागरूक करते हुए कही। जिला पुलिस द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी कर फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि हरियाणा एक सम्पन्न प्रदेश है।

'भाजपा जैसी सरकार हरियाणा में पहले कभी नहीं बनी'

● आरडब्ल्यूए ने विधायक राजेश नागर को किया सम्मानित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

विधायक राजेश नागर को सम्मानित करते फ्लोरिडा आरडब्ल्यूए के सदस्य।

सेक्टर 82 स्थित फ्लोरिडा सोसाइटी में संपन्न हुए आरडब्ल्यूए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित टीम ने विधायक राजेश नागर से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। नई टीम ने कहा कि वह विधायक से विकास कार्यों में सहयोग मांगने के लिए यहां आए थे। हमने उन्हें अपनी नई टीम से परिचित करवाया।

विधायक ने बताया कि यह प्रसन्नता की बात है कि नई आरडब्ल्यूए की टीम में अधिकांश प्रमुख पदों पर महिला प्रत्याशी विजयी रही हैं। जो कि नारी शक्ति के बढ़ते कदमों को दिखाता है। हमारी भाजपा सरकार और संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करने के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि आज हरियाणा में बेटा-बेटी का अनुपात बहुत तेजी से सुधरा है। वहीं बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को सह शिक्षा और सीबीएसई मॉडल बनाया जा रहा है। नागर ने कहा कि हर वर्ग को सुविधा संपन्न बनाने वाली भाजपा जैसी सरकार हरियाणा में पहले कभी नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए अपना जीवन दे रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रदेश की तरक्की में अपना पसीना लगा रहे हैं। इस अवसर पर फ्लोरिडा आरडब्ल्यूए की नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट प्रियंका कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट मोनिका मेहरा, जनरल सेक्रेटरी निवेदिता मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी तरुण सिंह, ट्रेजरर बीके सैनी, एग्जीक्यूटिव मेंबर दिनेश चंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार, अंजू कुमारी राजपूत, कुशल शर्मा, दीप्ति मेहता, अंजू कुमारी, भुवन चंद्र, प्रीति शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

बहनों ने सुभाष सुधा को दिया विजयी भवः का आर्शीवाद

● राज्यमंत्री ने धूमधाम से मनाया रक्षा बंधन का त्योहार

● सुबह 9 बजे से शाम तक नारी शक्ति ने भाई सुभाष को बांधी राखियां

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बार फिर हजारों बहनों ने एक साथ अपने भाई सुभाष सुधा को जीत का आशीर्वाद दिया। अवसर था रक्षाबंधन कार्यक्रम का। राज्यमंत्री सुभाष सुधा के सेक्टर 7 स्थित आवास पर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थानेसर हल्के के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में राज्यमंत्री सुभाष सुधा से आवास पर अपने भाई को राखी बांधने पहुंची बहनों का सुभाष सुधा, उमा सुधा, साहिल सुधा और सुगंधा सुधा ने भव्य स्वागत किया। सभी बहनों ने सुभाष सुधा को उनके उज्ज्वल भविष्य एवं हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में एक बार फिर विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया।

रविवार को सुधा परिवार द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सुधा आवास पर आयोजित कार्यक्रम में थानेसर हल्के की हजारों महिलाओं ने भाग लेकर सुभाष सुधा को उनकी कलाई पर राखी बांधी।

रिकॉर्ड तोड़ें बलाली के पहलवान, हासिल करें बड़ी उपलब्धियां: विनेश

बलाली। पेरिस ओलंपिक से स्वदेश लौटने पर हुए भव्य स्वागत से अभिभूत विनेश फोगाट ने कहा कि अगर वह अपने गांव बलाली से महिला पहलवानों को प्रशिक्षित करके उन्हें खुद से अधिक सफल बना सके तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। ओलंपिक में 50 किग्रा फाइनल में पहुंचने के बाद अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित की गई विनेश का शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विनेश ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ खेल पंचाट में अपील की थी लेकिन उसके तदर्थ प्रभाग ने उसे खारिज कर दिया था।दिल्ली से अपने पैतृक गांव बलाली तक के रास्ते में विनेश को उनके समर्थकों और खाप पंचायतों ने सम्मानित किया।

हरियाणा में सौ वर्ष की आयु पार कर चुके दस हजार 381 मतदाता

● मतदान के लिए बनेंगे 20 हजार 626 मतदान केंद्र, प्रशासन ने रखा शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पहली अक्टूबर को प्रदेश में 90 सीटों पर मतदान होगा। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। शतायु मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में मल्टी स्टोरीज हाउसिंग सोसायटी में पोलिंग बूथ बनाए गए जाएंगे, इसके साथ स्लम बस्तियां झुग्गी-झोपड़ियों में भी मतदान की व्यवस्था होगी।

चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। राज्य में 4.52 लाख युवा पहली बार अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा 2.54 लाख 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 10,381 से अधिक मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। हालांकि 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें नए मतदाताओं की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। चुनाव आयोग की ओर से 20629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7000 शहरी तो 13000 के करीब गांव देहात के क्षेत्रों में होंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तर्ज पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों व बुजुर्गों के साथ 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। घर से मतदान की सुविधा वैकल्पिक है। यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर खुद जाना चाहेगा तो उसे मतदान केंद्र तक ले जाने में मदद की जाएगी।

पुलिस ने साइबर अपराध व यातायात नियमों के बारे में किया जागरुक

फरीदाबाद। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के दिशा-निर्देशानुसार आज सामुदायिक पुलिसिंग टीम द्वारा खेड़ी पुल एरिया में ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को साइबर अपराध व यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरुक किया.

सामुदायिक पुलिस टीम ने खेड़ी पुल पर करीब 150 ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइवरों को जागरुक किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑटो चालकों को साइबर अपराध और यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया है। जागरुकता प्रोग्राम में ड्राइवरों को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, और डिजिटल भुगतान से संबंधित साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्हें साइबर अपराध से बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया।

PUBLIC NOTICE

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

This information for the General Public that my client Rampal son of Ramswaroop resident of A-225, A-Block, Kusum Pur Pahari, Kusum Pur, South West Delhi, Delhi-110057, has disowning and disinherited their son namely Ravi Dutt and daughter-in-law namely Nita, from all their moveable & immoveable properties and have also severed all their relations from them. Therefore my client shall not be responsible for any act and conduct done by them in future.

(Ombir Sangwan) Advocate
Ch.No.5, Patiala House Court N.Delhi-110001.

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Radha Chaurasia D/o Vindavasani Chaurasia R/o B-385, First floor, Sector-19, Noida, U.P.(201301) declares that name of mine and my father is wrongly written as Radha Chourasia and Bindvasni Chourasia in my all education certificate. The actual name of mine and my father is Radha Chaurasia and Vindavasani Chaurasia. Which may be amended accordingly.

PD(689)C

किसान भिवानी में बनाएंगे आंदोलन की रूपरेखा: रतन

● शासन-प्रशासन के दबाव से गुरुग्राम के गांव घामड़ोज के किसान की जमीन हड़पने को लेकर गंभीर है भाकियू

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान।

बिल्डर द्वारा शासन प्रशासन से मिलीभगत कर जिला के गांव घामड़ोज के किसानों की जमीन हथियाने की कोशिश के मामले में 20 अगस्त को भिवानी से आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। भिवानी में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह बात भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने यहां जारी बयान में कही।

रविवार को रतन मान ने कहा कि किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश के मामले में चेतावनी के बाद भी सरकार किसानों के साथ जबरदस्ती करने से बाज नहीं आ रही है। बिल्डर द्वारा किसान की जमीन हथियाने के आरोप को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को सांकेतिक तौर पर सोहना टोल टैक्स पर डेरा डाल नारेबाजी की थी। रतन मान किसानों के समर्थन में पहुंचे थे और प्रशासन को चेताया था कि यदि किसान के साथ फिर अत्याचार किया तो आर-पार की लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार तैयार रहे। इसके बाद भी पुलिस बिल्डर के दबाव में आकर किसानों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। किसानों के बच्चों और महिलाओं सहित किसानों के रिश्तेदारों तक को टार्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसान टोल टेक्स और सड़कें जाम करेंगे। जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। इस तानाशाही का डटकर मुकाबला करेंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसानों ने गुरुग्राम के एसडीएम सोनू भट्ट को इस ज्यादती के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने सरकार की तरफ से भरोसा दिया था कि कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन पुलिस का अत्याचार जारी है।

मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा था कि किसान की जमीन बिल्डर द्वारा मुकदमेबाजी के माध्यम से छीनने का अवैध प्रयास किया जा रहा है। किसान द्वारा दर्ज कराया गया केस पुलिस ने रद्द कर दिया है व किसान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जो बिलकुल नाजायज हैं।

विधानसभा चुनाव में दिखेगा विरोध प्रदर्शनों का प्रभाव: किसान समूह

नई दिल्ली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अपना आंदोलन जारी रखते हुए किसान समूहों ने एक बार फिर सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति अपना विरोध जताया है, जबकि किसान समूह इन मुद्दों व लंबित मांगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिएमहापंचायत आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

हरियाणा 2020-21 में रद्द हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख केंद्र था। यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया गया था। बाद मुें समूह में विभाजन हो गया और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) का गठन किया गया। एसकेएम (गैर राजनीतिक), किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के साथ मिलकर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर जारी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। एसकेएम (गैर राजनीतिक) के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर हाल के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे ग्रामीण इलाकों के लोगों को यह एहसास हुआ है कि उन्हें अपने मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहिए। कोहाड़ ने फोन पर पीटीआई-भाषा से कहा, लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को ग्रामीण इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों और 13 फरवरी, 2024 को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने जागरूकता बढ़ाई है। किसान और मजदूर उन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना जैसे मुद्दे ग्रामीण हरियाणा में प्रमुख कारक हैं। कोहाड़ ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के फंड में कटौती जैसे मुद्दे भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना जारी रहने के बीच कोहाड़ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर किए गए अत्याचार को भुलाया नहीं गया है।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारा ग्राहक गांव अनंगपुर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, सेक्टर 37, फरीदाबाद, हरियाणा पिन 121 003 ("प्लाट") में स्थित 1672 से 1678, 1668/1, 1717/1634/1, 1634/1, 1634/2 और 1669 में सम्मिलित भूमि माप 8.50 एकड़ पर निर्मित "एफबीडी वन कॉम्प्लेक्स" ("परिसर") के स्टाईल और नाम से जाने जाने कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक बी के भूतल पर यूनिट सं. 013, 014बी, 015बी, 008, 009, 010, 011, 012, 014ए और 015ए में सम्मिलित वाणिज्यिक क्षेत्र माप 21,277 वर्ग फीट और गैर कृषि क्षेत्र माप 7691.41 वर्ग फीट कुलमिलाकर 28,969.26 वर्ग फीट (बाहरी दीवार से बाहरी दीवार तक कवर्ड एरिया) की खरीद के संबंध में मैसर्स पुलकित प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्स रियलटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैसर्स उप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, सभी का पंजीकृत पता-डी-22, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 ("स्वामी") के साथ (i) प्लाट के सर्फेस पर 37 (सैंतीस) पार्किंग स्थल और (बी) कथित एफबीडी वन कॉम्प्लेक्स ("पार्किंग स्पेस") में ब्लॉक बी की बेसमेंट में 51 (इक्यावन) पार्किंग स्पेस और (ii) एक्सक्लुसिव लोडिंग एवं अनलोडिंग एरिया, एंटिना और सोलर पैनल के संस्थापन के लिए 500 वर्ग फीट का एक्सक्लुसिव टैरेस एरिया के लिए एक्सक्लुसिव संबंधित क्षेत्र उपयोग के अधिकार, 2(डी) एक्सक्लुसिव लिफ्ट, एक्सक्लुसिव लिफ्ट, निकास/प्रवेश के लिए एक्सक्लुसिव गेट, एक्सक्लुसिव डीजल जनरेटर सैट के संस्थापन के लिए स्पेस, एक्सक्लुसिव एचवीएसी/ओडीयू के संस्थापन हेतु स्पेस, एक्सक्लुसिव होर्डिंग्स और साईनेज के संस्थापन हेतु स्पेस, एक्सक्लुसिव टोटेम पोल के संस्थापन हेतु स्पेस, ब्लॉक बी एवं सी के मध्य पैदल पथ तथा पैदल आवागमन के लिए एक्सक्लुसिव और ब्लॉक बी और सी के अन्य कब्जाधारियों समान्य उपयोग के अधिकार, सामान्य संबंधित क्षेत्र जैसे कॉमन स्पेसेस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा (ii) (ए) प्लाट में अविभाजित एवं अविभाज्य आनुपातिक हिस्सा और (बी) एफबीडी वन कॉम्प्लेक्स/प्लाट के सामान्य क्षेत्रों में अविभाज्य अधिकार और हिस्से और परिसर, पार्किंग स्पेस और एक्सक्लुसिव संबंधित क्षेत्र, कॉमन संबंधित क्षेत्र (संयुक्त तौर पर "प्लाट एवं कॉमन क्षेत्रों में अधिकार" के तौर पर संदर्भित) के उपयोग के लिए सभी अधिकारों और ईजमेंट, जो भी आवश्यक हो, के साथ ट्रांजिक्शन में प्रविष्ट करने का इच्छुक है। परिसर, पार्किंग स्पेस, एक्सक्लुसिव संबंधित क्षेत्र, कॉमन संबंधित क्षेत्र और प्लाट एवं कॉमन एरिया में अधिकार "विषय संपत्ति" के तौर पर संयुक्त रूप में संदर्भित किए गए हैं।

यदि किसी व्यक्ति अथवा कोई कानूनी इकाई जिसमें कोई सरकारी/सार्वजनिक विभाग, बैंक या वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं, को विषयगत संपत्ति या उसके किसी भाग में बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, असाइनमेंट, वसीयत, रिलीज, त्याग, डिक्री या किसी न्यायालय के आदेश, भार, बंधक, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, लाइसेंस, उपहार, उत्तराधिकार, अविभाजित हिस्सा, कब्जा, सुखभोग, ट्रस्ट, वसीयत, पट्टा, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लीव और लाइसेंस, रेहन, सुखभोग, विकल्प, प्रथम इनकार या पूर्व क्रय या किसी भी प्रकार के भार या अधिकार या अन्यथा, या किसी समझौते, विलेख, दस्तावेज, या पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी भी तरह की किसी भी आपत्ति/ओं के तहत किसी भी प्रकार का अधिकार, शीर्षक, दावा, लाभ, मांग या हित प्राप्त कर रहा है या दावा कर रहा है, तो इसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य की नोटरीकृत/प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ लिखित रूप में नीचे दिए गए पते पर इस अधिसूचना की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर सूचित करना आवश्यक है। सूचना प्राप्त न होने पर यह माना जाएगा कि विषयगत संपत्ति का शीर्षक स्पष्ट, वैध और विक्रय योग्य है और विषयगत संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार/शीर्षक/हित/दावा/मांग नहीं है। बिना सहायक दस्तावेजों के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया अपने लिफाफे पर [सीएन-बीवीएस] लिखकर अंकित करें।

दिनांक - 19 अगस्त 2024
लेक्सनेगोटियम एडवोकेट्स
ध्यानार्थ - विकास पंत, मुख्य भागीदार
3-डी, टी हाउस सूर्य विहार अपार्टमेंट, डुंडाहेड़ा गुरुग्राम, 122016, हरियाणा
दूरभाष :- +91 124 400 8001 7 +91 989911 5125 7 +91 987386 5125

Rungta Irrigation Limited

रूंगटा इरिगेशन लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC023934
पंजीकृत पता: 101, प्रगति टॉवर 26, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
दूरभाष: 91-(11)40453330, वेबसाइट: www.rungtairrigation.com

40वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

प्रिय महोदय

1. कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की चालीसवीं वार्षिक आम बैठक ('40वीं एजीएम') शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 40वीं एजीएम में निर्धारित व्यवसाय का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में किया जाएगा।
हम आपका ध्यान सेबी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त परिपत्रों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें केवाईसी विवरण अर्थात पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक अकाउंट विवरण और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के नमूना हस्ताक्षर को अद्यतन करना अनिवार्य किया गया है। उक्त परिपत्रों के अनुसार, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा।
2. संबंधित कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (https://www.rungtairrigation.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे।
3. ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका
भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे http://www.beetalmail.com/forms/Form%20ISR-1.PDF पर उपलब्ध सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित ISR 1 फॉर्म जमा करके KYC के साथ-साथ उन्हें पंजीकृत/अपडेट करें।
इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई प्रतिभूतियों के लिए ईमेल और मोबाइल विवरण अपडेट करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया संबंधित डीपी से संपर्क करें, जहां डीमैट खाता रखा जा रहा है।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे 13 सितंबर 2024 से पहले अपने केवाईसी और ईमेल आईडी अपडेट करना लें, ताकि कंपनी एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एजीएम नोटिस और लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ वार्षिक रिपोर्ट भेज सके।
4. डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट तरीके से वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) करने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करें।

बोर्ड के आदेश द्वारा
रूंगटा सिंचाई लिमिटेड के लिए
ह०/-
कंवल ओहरी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त, 2024